

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 219] नई दिल्ली, बुधवार, जून 13, 1973/ज्यैष्ठ 23, 1895

No. 219] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 13, 1973/JYAISTHA 23, 1895

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 12th June 1973

S.O. 336(E)/IDRA/18G/73.—In exercise of the powers conferred by section 18G and section 25 of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) and all other powers enabling it in this behalf the Central Government hereby makes the following order further to amend the Cement Control Order, 1967, namely:—

1. (i) This Order may be called the Cement Control (Third Amendment) Order, 1973.

(ii) It shall be deemed to have come into effect from the 12th June, 1973.

2. In the second paragraph of the Schedule to the Cement Control Order, 1967, for the words, abbreviations and figures "an additional price of Rs. 27.40 per tonne", the words, abbreviations and figures "an additional price of Rs. 28.70 per tonne" shall be substituted

[No. 1-18/72/CEM.]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 12 जून, 1973

का० प्रा० 336(3)/आई डी आर ए/188/73.—उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 छ और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1967 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थातः—

1. (i) इस आदेश का नाम सीमेंट नियंत्रण (तृतीय संशोधन) आदेश, 1973 है ।
(ii) यह 12 जून, 1973 में प्रभावी हुआ समझा जाएगा ।
2. सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1967 की अनुसूची के द्वितीय पैरा में, "27.40 रु० प्रति टन अतिरिक्त कीमत" शब्दों, संश्लेषक और अंकों के स्थान पर "28.70 रु० प्रति टन अतिरिक्त कीमत" शब्द, संश्लेषक और अंक रखे जाएंगे ।

[सं० 1-18/72-सी ई एम]

डी० के० मक्सेना, संयुक्त सचिव ।